राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1176/2011/जयपुर.
2. अपील संख्या – 346/2012/जयपुर.
3. अपील संख्या – 347/2012/जयपुर.

मैसर्स श्री मनमोहन कॉर्पोरेशन,
8, मोतीलाल अटल रोड़, शीला भवन, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज.–III, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

4. अपील संख्या – 1745/2011/जयपुर.
5. अपील संख्या – 1110/2012/जयपुर.
6. अपील संख्या – 1111/2012/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज.–III, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री मनमोहन कॉर्पोरेशन,
8, मोतीलाल अटल रोड़, शीला भवन, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.
श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/02/2017

निर्णय

1. ये सभी छः अपीलें उपायुक्त (अपील्स)–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील प्रकरणों में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25, 61, 55 के तहत पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है तथा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अतः कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 1176/2011; 346/2012 व 347/2012 एवं शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपील संख्या 1745/2011; 1110/2012 व 1111/2012 प्रस्तुत की गयी है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

लगातार.....2

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धा. आदेश		राजस्व की अपील संख्या
		क्रमांक	दिनांक	दिनांक	वर्ष	
1.	1176/11	179/RVAT/App-IV/जी/2010—11	20.04.11	13.01.09	2008—09	1745/11
2.	346/12	149/RVAT/App-I/जी/2011—12	14.11.11	13.01.09	2006—07	1110/12
3.	347/12	148/RVAT/App-I/जी/2011—12	14.11.11	13.01.09	2007—08	1111/12

2. उक्त सभी अपीलें एक ही पक्षकार से सम्बन्धित होने तथा विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 20.11.2008 को किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया कि वर्ष 2006—07 से वर्ष 2008—09 में इलेक्ट्रिक मोटर का विक्रय वैट अधिनियम की कर अनुसूची—4 में उल्लेखित प्रविष्टि संख्या—27 में सम्मिलित मानते हुये उस पर 4% की दर से कर वसूल किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आक्षेप किया गया कि इलेक्ट्रिक मोटर प्रविष्टि संख्या 27 में सम्मिलित योग्य नहीं है क्योंकि इस प्रविष्टि में अंकित वस्तु Capital goods means plant and machinery including parts and accessories thereof है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर सम्मिलित नहीं की जा सकती है अतः इलेक्ट्रिक मोटर पर अनुसूची—5 के अन्तर्गत 12.5% की दर से कर आरोपणीय मानते हुये कर एवं अनुवर्ती ब्याज तथा जानबूझकर गलत दर से कर का भुगतान किया जाना मानते हुये अधिनियम की धारा 61 के तहत कर राशि की दुगनी राशि की शास्ति भी आरोपित की गई।

4. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त विवादित आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उक्त अपीलाधीन आदेशों के जरिये 12.5% की कर दर से आरोपित कर राशि व ब्याज को विधिसम्मत मानते हुये यथावत रखा परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय संव्यवहारों को नियमित लेखा पुस्तकों में एवं विभाग में प्रस्तुत विवरण पत्रों में उचित रुप से घोषित होने के आधार पर किसी भी तरह का छिपाव नहीं मानते हुये अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। उक्त अपीलीय आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर उनके द्वारा विक्रय किये गये माल इलेक्ट्रिक मोटर की कर दर 4% होना विधिसम्मत बताकर अपीलीय एवं कर निर्धारण आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया। इन्हीं प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी द्वारा

लगातार.....3

अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के अपीलीय आदेश से असंतुष्ट होकर विभाग द्वारा भी द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा औद्योगिक प्रयोजन में उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रिक मोटर जो 10 H.P. से 1000 H.P. की शक्ति की है तथा यह उद्योगों द्वारा उनके निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली मशीनरी के रुप में कार्य में आने से Capital Goods की श्रेणी में सम्मिलित होती है अतः अधिनियम की कर अनुसूची—चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या—27 के तहत 4% से कर योग्य है एवं इसी अनुरुप अपीलार्थी द्वारा 4% से कर वसूली की गई है जिसके आधार पर पूर्व में नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर का निर्धारण करते हुये 4% कर दर मानी गई थी।

6. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिकरापवंचन वृत के अधिकारी द्वारा केवल मत भिन्नता के आधार पर जो आदेश पारित किया गया है वह विधि एवं न्याय विरुद्ध है तथा कर निर्धारण अधिकारी को अपीलार्थी पर क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था।

7. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त विवादित तीनों कर निर्धारण आदेशों में विक्रय किये गये माल इलेक्ट्रिक मोटर को बिना किसी जांच के कि वे माल Capital Goods की श्रेणी में शामिल होते है अथवा नहीं, बल्कि केवल अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 36 के तहत किये गये विनिश्चय दिनांक 19.07.2008 के आधार पर इलेक्ट्रिक मोटर को 12.5% से करयोग्य मान लिया गया है। अभिभाषक ने आगे कथन किया कि मैसर्स गुलाब आर्ट हैण्डीक्राफट जोधपुर के प्रकरण में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा किये गये उक्त विनिश्चय के विरुद्ध माननीय कर बोर्ड में अपील की जाने पर कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा दिनांक 19.09.2016 को यह निर्णय कर दिया गया है कि इलेक्ट्रिक मोटर Capital Goods की श्रेणी में ही सम्मिलित होते है क्योंकि यह वस्तु Plant and Machinery में प्रयुक्त होती है। कर अनुसूची—चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या—27 में Plant and Machinery and their parts and accesserios अंकित होने से तथा इलेक्ट्रिक मोटर मशीनरी का पार्ट होने से वे केपिटल गुडस की श्रेणी में ही सम्मिलित है।

लगातार.....4

8. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि इस बिन्दु पर पूर्व में हुये विवाद एवं माननीय कर बोर्ड के पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के बाद यह निर्णीत किया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक मोटर केपिटल गुडस की श्रेणी में शुमार होते है एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये इलेक्ट्रिक मोटर्स जो कि 10 हार्सपॉवर से 1000 हार्सपॉवर तक की क्षमता के है एवं वे केवल औद्योगिक प्लांट व मशीनरी के साथ ही कार्य में ली जाती है अतः तथ्यात्मक रुप से भी अपीलार्थी व्यवहारी का विक्रय किया गया माल अनुसूची—4 की प्रविष्ठि संख्या—27 के अनुसार ही करयोग्य है। उक्त निर्णय के न्यायिक दृष्टांत **मैसर्स गुलाब आर्ट हैण्डीक्राफ्ट जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत—डी, (2016, 46 टैक्स अपडेट पृष्ठ 198)** की प्रति प्रस्तुत की।

9. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.08.2008 से अनुसूची—चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 27 को विलोपित कर दिया गया तथा Capital Goods के रुप में विक्रय किये जाने वाले माल पर क्रयकर्ताओं द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र देने की शर्त पर कर दर 4% की गई अतः दिनांक 27.08.2008 के पूर्व केपिटल गुड्स पर कर दर 4% ही थी। इस बिन्दु पर माननीय कर बोर्ड के खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया।

10. अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को इस सीमा तक विधिसम्मत बताया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर को उचित रुप से 12.5% से करयोग्य माना था परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में भूल करना बताया एवं कथन किया कि जब कर व ब्याज को यथावत रखा गया था तब शास्ति को अपास्त किया जाना विधिसम्मत नहीं है। फलतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में आरोपित की गई शास्ति को पुनर्स्थापित करने का निवेदन किया गया।

11. उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा जिन इलेक्ट्रिक मोटर्स का विक्रय किया गया है वे 10 हार्सपॉवर से 1000 हार्सपॉवर की क्षमता की है जो प्लांट व मशीनरी को संचालित करने के ही कार्य में ही उपयोग होती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक

लगातार.....5

कर विभाग जयपुर के कर दर संबंधी विनिश्चय हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में दिये गये निर्णय दिनांक 19.07.2008 को कर दर 12.5 प्रतिशत होने का आधार बनाया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स को Capital Goods नहीं माना गया था एवं अन्य किसी प्रविष्ठि में अंकित नहीं होने से इसे 12.5% से करयोग्य माना था।

12. अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग के अधिनियम की धारा 36 के तहत पारित आदेश दिनांक 19.07.2008 को माननीय राजस्थान कर बोर्ड में चुनौती दी जाने पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा ऊपर वर्णित गुलाब हैण्डीक्राफ्ट के निर्णय दिनांक 19.09.2016 में तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दु पर पूर्ण विवेचन करते हुये यह आदेश दिया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स Capital Goods की श्रेणी में ही आता है एवं दिनांक 27.08.2008 के पूर्व में की गई बिक्री पर कर अनसूची—4 की प्रविष्टि संख्या 27 से वे 4% की कर दर से करयोग्य है। हमारे द्वारा इस प्रकरण के तथ्यों के परिशीलन पर भी यह पाया है कि व्यवहारी द्वारा विक्रय की गयी इलेक्ट्रिक मोटर्स केवल प्लांट व मशीनरी के साथ ही उपयोग होती है अतः वह Capital Goods के लिये अनुसूची—4 की प्रविष्टि संख्या 27 में दी गई केपिटल गुड्स एण्ड पार्ट्स की प्रविष्ठि में सम्मिलित होती है एवं माननीय कर बोर्ड के ऊपर वर्णित निर्णय मैसर्स गुलाब हैण्डीक्रॉफ्ट जोधपुर से पूर्ण सहमति रखते हुये, निर्णय का अनुगमन (follow) करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती है।

13. अतः विवादित कर निर्धारण आदेश में **'इलेक्ट्रिक मोटर'** पर 4% के स्थान पर 12.5% की कर दर से आरोपित किये गये कर एवं अनुवर्ती ब्याज को अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जाती है। प्रकरण में कर दर के प्रश्न पर अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार हो जाने से आरोपित कर अपास्त हो जाने के परिणामस्वरूप इसी आधार पर आरोपित शास्ति स्वतः ही निरस्त हो जाती है अतः विभाग की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

14. उक्तानुसार समस्त अपीलों का निस्तारण किया गया।

15. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष